न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 163 / 2019

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
पुनाराम पुत्र श्री गोकलराम जाति जाट मुण्डेल निवासी ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. हिन्दूराम पुत्र श्री गोकलराम 2. पुकाराम पुत्र श्री घेवरराम 3. मोहनराम पुत्र श्री घेवरराम 4. विरेन्द्र ग्वाला पुत्र श्री मोहनराम जातियान जाट (ग्वाला) निवासी रणसीगांव तहसील बिलाड़ा 5. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थी की ओर से श्री पदमाराम चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 5 सरकारी पैरोकार

आदेश **दिनांक**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर के खाता संख्या 389, खसरा नम्बर 281 / 1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर, किस्म बारानी प्रथम, कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि स्थित है। उक्त खसरा की भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 281 / 1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर भूमि के चिपते ही पश्चिम दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की खातेदारी / सयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 490 व 490 / 1 रकबा 5.9623 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के खातेदारी की कब्जासुदा भूमि पर सीमांकन कर काफी वर्ष पूर्व सरकारी मुटाम लगे हुए थे। प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 281 / 1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर कृषि भूमि का मौके पर एक ही चक में स्थित है जिसके प"चम दि"ाा की तरफ अपार्थीगण संख्या 1 से 4 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 490 व 490 / 1 रकबा 5.9623 हैक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण की कृषि भूमि व प्रार्थी की भूमि के मध्य में काफी वर्षों पुराने लगे सरकारी मुटाम एवं प्रार्थी के खेत की मेड़ व अप्रार्थीगण ने तोड़ फोड़ कर प्रार्थी की खातेदारी की भूमि को जोर जबरदस्ती से करीब डेढ बीघा भूमि अपने खेत में मिला दिया तब प्रार्थी ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 281 / 1 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:57 IST
Reason: SelfAttested

1.5856 हैक्टेयर का सीमांकन कराने हेतु अप्रार्थी संख्या 5 के समक्ष दिनांक 10.05.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा हल्का पटवारी हरियाढाणा द्वारा प्रार्थी की भूमि का दिनांक 03.06.2019 को सीमांकन करवाया मगर हल्का पटवारी द्वारा वर्षो पूर्व लगे पुराने सरकारी मुटाम से प्रार्थी की भूमि का सीमांकन नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 281/1 पर जोर जबरदस्ती से डेढ बीघा भूमि पर कब्जा कर प्रार्थी की भूमि में मुटाम के स्थान पर दिनांक 20.10.2019 को टांके का निर्माण करना शुरू कर दिया तथा आज दिन तक इस पर सीमा संबंधी विवाद कायम है, जिसके चलते प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के साथ दिनांक 25.10.2019 को अप्रार्थी संख्या 5 के यहा आवेदन कर सीमा सम्बंधी विवाद का निपटारा करने का आग्रह किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 नही माने और एलानिया धमकी दी कि वे प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती टांके का निर्माण करके रहेंगे और वे प्रार्थी की भूमि में और जबरदस्ती से कब्जा करके रहेगे, तुमसे जो कार्यवाही हो कर लेना। प्रार्थी को अपनी उपरोक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने एवं का"त कार्य, ट्रेक्टर वगैरा लाने ले जाने, निराई गुडाई वगैरा करने हेतु प्रार्थी को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा बार बार तंग परे"ाान करने एवं का"त कार्य में बार बार रोकने एवं बाधा उत्पन्न करने से प्रार्थी को मजबूर होकर अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 281/1 का पुराने सरकारी मुटाम के अनुसार भूमि का नाप व सीमांकन करवाना चाहता है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पे"ा कर निवेदन किया कि ग्राम हरियाढाणा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 281/1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर का पुराने सरकारी मुटाम के अनुसार सीमांकन करवाये जाने एवं मौके पर सीमा द्योतक चिन्ह (पत्थरगढी) कायम करने हेतु अप्रार्थी संख्या 5 को आदे"ा प्रदान किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में किए जा रहे टांके के निर्माण कार्य को शीघ्र से शीघ्र रोका जाने हेतु उचित आदे"ा प्रदान करावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अपार्थी संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन तलब किया गया फिर भी उपस्थित नही हुए तो उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयो। अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब पे"ा किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाढाणा के खसरा नम्बर 281/1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर प्रार्थी पूनाराम की खातेदारी भूमि है। ग्राम रणसीगांव के खसरा नम्बर 490 व 490/1 कुल रकबा 5.9623 हैक्टेयर है जो अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:57 IST
Reason: SelfAttested

के नाम से है। यह तीनों खसरे ग्राम हरियाढाणा व रणसीगांव की सीमा पर स्थित है। खसरा नम्बर 281/1 ग्राम हरियाढाणा व रणसीगांव के खसरा नम्बर 490 व 490/1 के खातेदारों के बीच विवाद होने पर सीमाज्ञान के आदे"ाानुसार पटवारी हल्का हरियाढाणा द्वारा करवाया गया। पटवारी हल्का हरियाढाणा अपनी सीमांकन व जॉच रिपोर्ट में जाहिर किया कि खसरा नम्बर 281/1 की सीमा अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 490 व 490/1 के अन्दर तक जातो है। अतः इस बात को लेकर दोनो पक्षों में विवाद है। अन्त में निवेदन किया कि दोनो ग्रामों की सीमा विवाद का निस्तारण होने पर ही पत्थरगढी करवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी अधिवक्ता एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का ध्यानपूवचक अवलोकन किया गया जिससे यह विदित होता है कि राजस्व ग्राम हरियाढाणा की विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 281/1 रकबा 1.5856 हैक्टेयर प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है तथा राजस्व ग्राम रणसीगांव के खसरा नम्बर 490 व 490/1 के खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 से 4 है। अधिक भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य सीमा सम्बंधी विवाद है तथा तहसीलदार बिलाड़ा की रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त दोनो खसरान का मामला दो गांवों के बीच सीमा विवाद का है। इस कारण मौके पर नाप, सीमांकन किया जाना उचित प्रतीत नही होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल"ाुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजला"ा सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:09:57 IST
Reason: SelfAttested